## न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान शिवराज बनाम अजय

मा संख्या / वर्ष टी0आई0 64 / 2024

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष |
|---|---|---|
| 30/4/25 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश यादव एवं अप्रार्थी संख्या 02, 05 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सैनी तथा अप्रार्थी संख्या 03, 04, 06 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश शर्मा हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 326 रकबा 0.4047 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने तथा प्लोटिंग कर बेचान करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।<br><br>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील एवं समुचित अवसर उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब नहीं देकर, सीधे बहस हेतु निवेदन किया।<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में [illegible] होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दावा [illegible] के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में [illegible] एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। [illegible] भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है। | |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

30/4/25

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम निवारू, पटवार हल्का निवारू, भू.अ.नि. क्षेत्र झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 326 रकबा 0.4047 है0 पर उभयपक्षों को तांफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यह व्यादेश कृषि कार्य व सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested